उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

मिस अपील नं0–66/2022–23

सेनापति ब्रहम

बनाम्

प्रेमलाल ब्रहम

–: आदेश :–

दिनांक 20/12/23

दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता सेनापति ब्रहम, पे0–गंगेश्वर ब्रहम, सा0–बारकोप, थाना–पथरगामा, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आदेश, जिनके द्वारा मौजा–बारकोप नं0–166, जमाबंदी सं0–16, दाग नं0–115 रकवा 00–02–18 धुर जमीन पर इंदिरा आवास बनाने के लिए पुलिस बल प्रतिनियुक्त किया है, के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी ने मौजा–बारकोप नं0–166, जमाबंदी सं0–16, दाग नं0–115, रकवा 00–02–18 धुर जमीन पर इंदिरा आवास निर्माण कार्य कराने के लिए पुलिस बल नियुक्त करने के लिए अनुमंडल दण्डाधिकारी, गोड्डा के समक्ष आवेदन दाखिल किया। उक्त आवेदन के आलोक में अपीलकर्त्ता को कारण–पृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिश निर्गत किया गया। अपीलकर्त्ता ने कागजात के साथ कारण–पृच्छा दाखिल किया गया। उक्त कारण–पृच्छा में अपीलकर्त्ता के द्वारा कहा गया कि मौजा–बारकोप नं0–166, जमाबंदी सं0–16, दाग नं0–115 रकवा 00–02–18 धुर जमीन पर उत्तरवादी का कोई हक और अधिकार नहीं है। उत्तरवादी की ओर से दिया गया वंशावली भी बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि जमाबंदी रैयत हरिहर ब्रहम की मृत्यु नावल्द हो गयी है एवं उक्त जमाबंदी की जमीन सिर्फ हरिहर ब्रहम के नाम से दर्ज नहीं है। बल्कि नंदन ब्रहम वो जेकिसुन ब्रहम वो भोला ब्रहम, पे0–हेमु ब्रहम वो हरिहर ब्रहम वल्द जगरनाथ ब्रहम के नाम से दर्ज है। जबकि अपीलकर्त्ता उक्त जमाबंदी के जमाबंदी रैयत नंदन ब्रहम के वंशज है और उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी प्रेमलाल ब्रहम ने अपने भाई के साथ अपीलकर्त्ता एवं उनके भाई के विरूद्ध सबजज, गोड्डा के न्यायालय में टाईटल सूट नं0–2019 दायर किया

गया है, जो लंबित है। मौजा–मिर्जाचक नं0–117, जमाबंदी सं0–10 की जमीन पर भी यह कहकर दावा किया गया था कि वे लोग हरिहर ब्रहम के वंशज है एवं उनलोगों के द्वारा बंदोवस्त पदाधिकारी, दुमका के न्यायालय में सेटलमेंट केस नं0–14/96 दायर किया गया था। लेकिन सुनवाई के दौरान उत्तरवादी प्रेमलाल ब्रहम एवं अन्य का आवेदन खारिज कर दिया है। यह निर्णय तीनों मौजा के जमीन पर लागू होगा। क्योंकि तीनों मौजा के जमीन के जमाबंदी रैयत एक ही है एवं उत्तरवादी प्रेमलाल ब्रहम एवं अन्य को जमाबंदी रैयत हरिहर ब्रहम का वंशज नहीं पाया गया है। आर0ई0आर0 केस नं0–23/2019–20 में भी दिनांक–12.03.2021 को आदेश पारित किया गया है, उसमें भी निष्कर्ष निकाला गया कि दोनों पक्ष गोतिया है। चूँकि स्वत्व से संबंधित मामला होने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा आदेश पारित नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अनुमंडल दण्डाधिकारी को स्वत्व के संबंध में निर्णय नहीं कर सकता है। यह सिविल न्यायालय में क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। इसलिए अनुमंडल दण्डाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने अनुमंडल दण्डाधिकारी, गोड्डा के पारित आदेश को निरस्त करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–बारकोप नं0–116, जमाबंदी सं0–16, दाग नं0–115 रकवा 00–02–18 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा के दखल क्यारी में उत्तरवादी के परदादा हरिहर ब्रहम के नाम से दर्ज है। उक्त जमीन को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केस नं0–23/19–20 एवं उपायुक्त, गोड्डा के न्यायालय में आर0एम0ए0 नं0–31/21–22 दायर किया गया था। उक्त वाद में उत्तरवादी के पक्ष में निर्णय दिया गया है एवं उसी के आलोक में अनुमंडल दण्डाधिकारी, गोड्डा के द्वारा इंदिरा आवास बनाने के लिए पुलिस बल प्रतिनियुक्त किया गया था। चूँकि राजस्व न्यायालय के द्वारा आदेश पारित नहीं किया गया है। इसलिए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने अनुमंडल दण्डाधिकारी, गोड्डा के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–बारकोप नं0–116, जमाबंदी सं0–16 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में नंदन ब्रम्ह वो जेकिशुन ब्रम्ह वो भोला ब्रम्ह, पे0–हेमु

ब्रम्ह वो हरीहर ब्रम्ह वल्द जगरनाथ ब्रम्ह के नाम से दर्ज है। दोनों ही पक्ष के द्वारा उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत के जमाबंदी रैयत के वंशज के आधार पर दावा किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केस नं0–23/2019–20 के आदेश दिनांक–12.03.2021 में निष्कर्ष है कि उभय पक्ष आपस में गोतिया है एवं अपने–अपने पूर्वजों के उत्तराधिकारी स्वरूप प्राप्त भूमि पर हक एवं अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जो पूर्णतः स्वत्व का मामला प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट होता है कि उत्तरवादी के द्वारा सबजज, गोड्डा के न्यायालय में टाईटल सूट नं0–02/19 दायर किया गया है। उक्त टाईटल सूट वाद में पारित आदेश से संबंधित कोई भी कागजात उत्तरवादी की ओर से दाखिल नहीं किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मामला स्वत्व से संबंधित है एवं जबतक सक्षम न्यायालय के द्वारा स्वत्व निर्धारण नहीं होता है, तबतक यह स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त जमीन पर किसका हक है। अतएव अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल दण्डाधिकारी, गोड्डा के ज्ञापांक–561/सा0न्या0 दिनांक–25.08.2022 के द्वारा निर्गत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2024.03.14 13:10:19 +05:30
Location: 192.168.1.55